



सोसाइटी-रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र

(अधिनियम संख्या 21,1860 के अधीन)

रजिस्ट्रेशन संख्या : UK0660342021006004

एतद्वारा प्रामाणित किया जाता है कि Krishna Learning Academy Chakalua. (कृष्णा लर्निंग ऐकेडमी चकलुवा।), Village-Rampur, Chakalua, Kaladhungi, Nainital, UK Nainital Uttarakhand 263140 को आज उत्तराखण्ड में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथा संशोधित सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 ई० के अधीन सम्यक रूप से रजिस्ट्रीकृत किया गया है।

यह प्रमाण पत्र 28-APR-2026 तक विधिमान्य होगा।

आज दिनांक 29-Apr-2021 को मेरे हस्ताक्षर से दिया गया।

रजिस्ट्रेशन शुल्क(रु.)- 5550/

Signature valid

Digitally signed by: Ms Pooja Negi
Reason: SOCIETY रजिस्ट्रार
Location: Nainital, Uttarakhand
Date and Time: 29-04-2021 12:34:37

FMS
Uttarakhand

INTEGRATED FINANCE MANAGEMENT SYSTEM
GOVERNMENT OF UTTARAKHAND

9-प्रबन्धकारिणी समिति तथा प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्तव्य:-

- स. अधिकार व कर्तव्य
- प्रबन्धकारिणी समिति
- 1 संस्था के सभी कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करना तथा वित्तीय व्यवस्था को देखना।
- 2 अध्यक्ष
- 1 प्रबन्धकारिणी समिति की बैठकों की अध्यक्षता करना, संस्था की चल/अचल सम्पत्ति की देखभाल करना, संस्था के हिताधीन कार्य जो आम सभा से स्वीकृत हो करवाना आदि।
- 3 उपाध्यक्ष
- 1 अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसके सभी कार्य देखना।
- 4 सचिव
- 1 कार्यकारिणी समिति की बैठकों की कार्यवाही लिखना, आगामी बैठक में पिछली कार्यवाही की पूर्ति करवाना, वार्षिक बजट बनाना, संस्था के आय-व्यय सम्बन्धी समस्त प्रपत्र तैयार करवाना, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट से ऑडिट करवाना, ऑडिट रिपोर्ट प्रबन्धकारिणी के समक्ष पेश करवाना, संस्था की ओर से पत्राचार करना, कार्यकारिणी द्वारा स्वीकृत नियमों के अधीन कार्यकारिणी द्वारा स्वीकृत नियमों के अधीन कार्यकर्ताओं की नियुक्ति करना तथा संस्था के हिताधीन ऐसे समस्त कार्य करना जो संस्था के उद्देश्यों के विरुद्ध न हों।
- 5 कोषाध्यक्ष
- 1 संस्था के कोष के रख रखाव तथा खाते का संचालन करना।
- 6 सदस्य
- 1 कार्यकारिणी सदस्य, प्रबंधसमिति को कार्यों में सहयोग प्रदान करेंगे।
- 7 अन्य प्रावधान
- 1 खाते का संचालन-खाते का संचालन अध्यक्ष तथा कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षरों से किया जायेगा।
- 2 साधारण सभा का के अधिकार कर्तव्य-प्रबन्धकारिणी समिति का चुनाव करना। प्रबन्धकारिणी द्वारा किये गये संशोधनों को अनुमोदित करना।
- 3 प्रबन्धकारिणी समिति का गठन-प्रबन्धकारिणी समिति में, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, तथा 3 सदस्य होंगे।
- 10-संस्था के नियम/विनियमों में संशोधन की प्रक्रिया:-
- संस्था के विधान में परिवर्तन, करने हेतु प्रबन्धकारिणी समिति में विधान परिवर्तन का प्रस्ताव पारित करके तथा उसे साधारण सभा द्वारा अनुमोदित करवाकर सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम की धारा 4 ए के अनुसार संस्था के नियमों में परिवर्तन की कार्यवाही के प्रस्ताव की प्रति के साथ 30 दिन के अन्दर ही उन्हें पंजीकरण करने के अनुरोध के साथ निबन्धक कार्यालय में प्रस्तुत कर दिया जायेगा। नियमों में परिवर्तनों के पंजीकरण किये जाने की सूचना जारी किये जाने पर ही परिवर्तन मान्य होंगे।
- 11-संस्था का कोष (लेखा व्यवस्था):-
- संस्था का कोष किसी बैंक अथवा डाकघर में रखा जायेगा। खाते से धन का आहरण अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, संयुक्त हस्ताक्षरों से किया जा सकेगा।
- प्रबन्धकारिणी समिति की वार्षिक सूची तथा संतुलन पत्र:-
- प्रत्येक वर्ष प्रबन्धकारिणी समिति की सूची तथा आय-व्यय लेखे व संतुलन पत्र नियमानुसार उप निबन्धक कार्यालय में जमा किया जायेगा।
- 13-संस्था के आय-व्यय का लेखा परीक्षण/ ऑडिट:-
- आय-व्यय का लेखा परीक्षण नियमानुसार किसी मान्यता प्राप्त चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट से करवाया जायेगा।
- 14-संस्था द्वारा अथवा संस्था के विरुद्ध सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम की धारा- 6 के अनुसार अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व संस्था के अध्यक्ष का होगा।
- संस्था के अभिलेख:-
- क- सदस्यता रजिस्टर
- ख- कार्यवाही रजिस्टर
- ग- स्टॉक रजिस्टर
- घ- कैश बुक
- ङ- रसीद बुक
- च- रिजिस्ट्रार रजिस्टर
- 16- संस्था के विघटन और विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम की धारा 13 व 14 में दिये गये प्रावधानों के अन्तर्गत की जायेगी।

दिनांक-12-Apr-2021

(सचिव तथा कम से कम तीन अन्य पदाधिकारियों के हस्ताक्षर)

प्रतिनिधि कर्ता
मिलान कर्ता
दिनांक 24-6-2021

Diby

कैलाश

प्रबन्धकारिणी अध्यक्ष
सचिव
24-6-2021

25/2021




**INTEGRATED FINANCE MANAGEMENT SYSTEM
GOVERNMENT OF UTTARAKHAND**

नियमावली

1-आवेदन पत्र संख्या: TRSOC066030321005789
 2-संस्था का नाम (हिंदी में): कृष्णा लर्निंग ऐकेडमी चकलुवा।
 3-संस्था का नाम (अंग्रेजी में): Krishna Learning Academy Chakalua.
 4-संस्था का पता: R Village-Rampur, Chakalua, Kajadhungi, Nainital, UK Nainital State
 5-कार्यक्षेत्र:

SNo	Membership	Fee(Rs)	Minimum Qualification	other Criteria	Other Termination Condition
1	विश्लिष्ट	201	हाई स्कूल एवं उससे नीचे	NA	Absent for long time, Organization Against Activities, Bankrupt, Criminal Record, Death, Irregular, Mental Disorder, Fee Not Paid, Medically Unfit, Resignation
2	सामान्य	101	हाई स्कूल एवं उससे नीचे	NA	Absent for long time, Organization Against Activities, Bankrupt, Criminal Record, Death, Irregular, Mental Disorder, Fee Not Paid, Medically Unfit, Resignation
3	आजीवन	1001	हाई स्कूल एवं उससे नीचे	NA	Absent for long time, Organization Against Activities, Bankrupt, Criminal Record, Death, Irregular, Mental Disorder, Fee Not Paid, Medically Unfit, Resignation

SNo	Common Termination Condition
1	लंबे समय के लिए अनुपस्थित
2	संस्था विरोधी कार्य करने पर
3	दिवालिया होने पर
4	न्यायालय द्वारा दण्डित होने पर
5	मृत्यु हो जाने पर
6	अनियमित
7	पागलपन हो जाने पर
8	सदस्यता शुल्क न देने पर
9	मेडिकली अनफिट
10	त्याग पत्र देने पर



दिनांक-25-Mar-2021

8-संस्था के अंग:- (क) साधारण सभा (ख) प्रबन्धकारिणी समिति

(क) साधारण सभा:-

- (अ) गठन - सभी प्रकार के सदस्यों को मिलाकर साधारण सभा का गठन होगा।
 (ब) बैठकें - सामान्य बैठक वर्ष में 1 बार तथा विशेष बैठक आवश्यकता पडने पर कभी भी बुलाई जा सकती है।
 (स) सूचना अवधि - सामान्य बैठक हेतु 15 दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक होगा तथा विशेष बैठक हेतु 7 दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक होगा।
 (द) गणपूर्ति - बैठक हेतु 67% सदस्यों की गणपूर्ति आवश्यक होगी।
 (ध) विशेष/वार्षिक अधिवेशन की तिथि - विशेष/वार्षिक अधिवेशन की तिथि साधारण सभा की बैठक में 67% बहुमत से तय की जायेगी।
 (र) साधारण सभा द्वारा प्रबन्धकारिणी समिति का चुनाव किया जायेगा। संस्था की नीतियों का निर्धारण करना तथा वार्षिक आय-व्यय का अनुमोदन करना।

(ख) प्रबन्धकारिणी समिति:-

- (अ) गठन - साधारण सभा द्वारा प्रबन्धकारिणी समिति का चुनाव किया जायेगा। इसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, सदस्य होंगे।
 (ब) बैठकें - सामान्य बैठक वर्ष में 1 बार तथा विशेष बैठक आवश्यकता पडने पर कभी भी बुलाई जा सकती है।
 (स) सूचना अवधि - सामान्य बैठक हेतु 7 दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक होगा तथा विशेष बैठक हेतु 3 दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक होगा।
 (द) गणपूर्ति - बैठक की गणपूर्ति हेतु 67% पदाधिकारियों की उपस्थिति आवश्यक होगी।
 (ध) रिक्त स्थानों की पूर्ति - 67% पदाधिकारियों के बहुमत से शेष अवधि के लिये साधारण सभा के सदस्यों में से रिक्त हुये स्थानों की पूर्ति कर सकेगी।
 (र) कार्यकाल:-प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल 5 वर्ष होगा।

(सचिव तथा कम से कम तीन अन्य पदाधिकारियों के हस्ताक्षर)

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

सचिव
 प्रबन्धकारिणी समिति
 कृष्णा लोड
 रामपुर (नैनीताल)
 24-6-2021